



क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

जेड-17/12/9/स्पैरो/20स्था.।पार्ट 1-(पार्ट2)(ई1144458)

05-08-2025

परिपत्र

विषय : स्पैरो में लॉगइन किए जाने संबंधी मामलों में पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को समेकित रूप में जारी किया जाना।

ऐसा देखा गया है अनेक बार परिपत्र जारी किए जाने के बावजूद उपयोगकर्ताओं और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्पैरो पोर्टल/एपीएआर बनाते समय अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और इस संबंध में अनेक प्रकार की शिकायतें तथा पूछताछ आदि लगातार प्राप्त हुई हैं।

संबंधित जानकारी सुलभ कराने के लिए जिससे इस मामले में सुगमता हो तथा संदर्भों के लिए एक एकीकृत स्थान हो, सभी स्पष्ट दिशानिर्देश, कठिनाई समाधान के चरण (ट्रबल शूटिंग स्टेप्स) और पूर्व में जारी किए गए परिपत्रों की सूचना - सभी का समेकित रूप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) (संलग्नक - 1) पर दिया गया है।

यह एफएक्यू इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह उपयोक्ता सरल (यूजर फ्रेंडली) हो तथा इसके उपयोगकर्ताओं और क्षेत्रीय कार्यालयों को लॉग-इन करने संबंधी मामलों में बिना बार-बार सहायता के कार्य करने में सहयोग दे।

समेकित एफएक्यू की प्रति इसके साथ संलग्न की जा रही है और सभी की सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए परिचालित की जा रही है। अनुरोध है कि सभी क्षेत्रीय कार्यालय और उपयोगकर्ता मामले में कठिनाई आने पर समाधान के लिए पुनः सहयोग लेने से पूर्व इस दस्तावेज की प्रति का संदर्भ लें।

किसी भी अन्य सहायता के लिए कृपया सहायता डेस्क से help.sparrow@esic.nic.in संपर्क करें।

उप निदेशक (स्था.।)

प्रतिलिपि,

1. महानिदेशक/वित्त आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
2. सभी प्रभागीय प्रमुखों, मुख्यालय को सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय बीमा आयुक्तों/क्षेत्रीय चिकित्सा आयुक्तों को सूचनार्थ।

4. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, नई दिल्ली को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. क्षेत्रीय कार्यालयों/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी क्षेत्रीय निदेशकों/संयुक्त निदेशकों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. क.रा.बी.निगम अस्पतालों तथा क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पतालों के सभी चिकित्सा अधीक्षकों/क.रा.बी.निगम चिकित्सा/दंत्य महाविद्यालयों/स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान के अधिष्ठाता (डीन) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. निदेशालय(चिकित्सा) दिल्ली/निदेशालय(चिकित्सा) नोएडा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
8. संयुक्त निदेशक स्थापना-V, मुख्यालय को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
9. चिकित्सा विभागीय पदोन्नति समिति, मुख्यालय को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. गार्ड फ़ाइल/अतिरिक्त प्रति।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
स्पैरो (SPARROW) लॉग-इन संबंधित मामले

क्र.	प्रश्न	संभावनाएं	अपेक्षित कार्रवाई
1	saccess.nic.in पर लॉग-इन न कर पाना	यह जांच करें कि दिनांक 16.05.2025 (एतद्वारा संलग्न) के परिपत्र में उल्लिखित चरण-7 के अनुसार ई-फॉर्म में लॉग-इन द्वारा वीपीएन प्रदान किया गया है।	यदि वीपीएन नंबर नहीं दिया गया है तो दिनांक 16.05.2025 (संलग्न) के परिपत्र में किए गए उल्लेख के अनुसार ई-फॉर्म के माध्यम से आवेदन करें।
	ई-फॉर्म पर लॉग-इन न कर पाना (https://eforms.nic.in)	ई-मेल आईडी निष्क्रिय है या कोई अन्य कारण हो।	ई-मेल अद्यतन और सक्रिय करने के लिए आईसीटी शाखा, मुख्यालय को request@esic.gov.in पर संपर्क करें। आगे, एक्सेल शीट (संलग्न) को भरें और इसे वीपीएन सक्रियता के लिए help.sparrow@esic.nic.in पर अग्रसारित करें।
2	saccess.nic.in पर लॉग-इन करते समय स्पैरो_क.रा.बी. निगम आइकन न दर्शाया जाना।	प्रयोक्ता को वीपीएन एक्सेस नहीं दी गई है।	स्पैरो_क.रा.बी. निगम एक्सेस के लिए उपर्युक्त वर्णित परिपत्र के अनुसार ई-फॉर्म के माध्यम से आवेदन करें।
3	स्पैरो_क.रा.बी.निगम के माध्यम से लॉग-इन के दौरान स्पैरो_क.रा.बी. निगम का आइकन परिलक्षित होना तथा निम्नलिखित संदेश प्रदर्शित होना :- प्रयोक्ता सेवाओं की पहुंच के	प्रयोक्ता को पीआईएमएस प्रणाली में मैपिंग नहीं। ई-मेल आईडी अथवा पासवर्ड गलत ।	अधिकारी/कर्मचारी की आईडी पीआईएमएस मैपिंग के लिए क्षेत्रीय निर्माता से संपर्क करें। संशोधन तथा दर्ज किए गए ई-मेल आईडी एवं पासवर्ड की सक्रियता स्थिति का सत्यापन करें। साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि ई-मेल आईडी सक्रिय

	लिए अधिकृत नहीं”	आईडी बनाते समय गलत यूआईडी मैपिंग।	हो। कर्मचारी पहचान संख्या सहित यूआईडी का स्क्रीनशॉट (संलग्नक के अनुसार) हेल्प.स्पैरो_क.रा.बी.निगम पर भेजे
4	कार्य प्रवाह (कार्य अनुक्रम) के सृजन के समय कर्मचारी आईडी प्रदर्शित न होना।	कर्मचारी को सेवानिवृत्त दर्शाया गया हो, या पीआईएमएस में कर्मचारी आईडी को गलत तरीके से प्रविष्ट किया गया हो, या सेवा कॉलम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के इतर दर्शाया गया हो।	सबसे पहले नाम से खोजें। यदि समस्या बनी रहती है तो help.sparrow@esic.nic.in पर विवरण ई-मेल करें।
5	प्रयोग किए जा रहे नंबर के बजाय किसी अन्य नंबर पर ओटीपी आना।	पीआईएमएस/स्पैरो/अन्य प्रणाली में गलत मोबाइल नंबर, नंबर में परिवर्तन, एकाधिक प्रोफाइल/कर्मचारी आईडी आदि।	मोबाइल नंबर अद्यतित करने या सही करने के लिए संलग्नक में दिए गए चरणों का अनुसरण करें।
6	स्पैरो_क.रा.बी.निगम में लॉगिंग करने के बाद एपीएआर का प्रदर्शित न होना।	सृजन/अनुलिपि आईडी मैपिंग संभावित है।	स्क्रीनशॉट और कर्मचारी आईडी सहित मामला को help.sparrow@esic.nic.in पर ई-मेल करें।

नोट : कृपया अपनी ई-मेल में मामले को स्पष्ट रूप से बताएं तथा गहन जांच के लिए उस समस्या का स्क्रीनशॉट भी संलग्न करें।